

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठारसीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 157 सन 2020

अनवान :-

1. मोहनलाल पुत्र काशीराम जाति जाट निवासी भावलदेसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. काशीराम पुत्र मेधाराम जाति जाट निवासी भावलदेसर तहसील नोहर ।
2. श्रवण कुमार पुत्र काशीराम जाति जाट निवासी भावलदेसर तहसील नोहर ।
3. तीजा पुत्री काशीराम जाति जाट निवासी भावलदेसर तहसील नोहर ।
4. सीमा पुत्री काशीराम जाति जाट निवासी भावलदेसर तहसील नोहर ।
5. रोशनी पुत्री काशीराम जाति जाट निवासी भावलदेसर तहसील नोहर ।
6. चनकौरी पुत्री काशीराम जाति जाट निवासी भावलदेसर तहसील नोहर ।
7. भीरधा पत्नी स्व मेधाराम जाति जाट निवासी भावलदेसर तहसील नोहर ।
8. लिछमा पुत्री स्व मेधाराम जाति जाट निवासी भावलदेसर तहसील नोहर ।
9. चुन्नीदेवी पुत्री स्व मेधाराम जाति जाट निवासी भावलदेसर तहसील नोहर ।
10. भंवरी पुत्री स्व मेधाराम जाति जाट निवासी भावलदेसर तहसील नोहर ।
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 31/12/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा भावलदेसर के खाता संख्या 205/98 कुल 12.6247 हैक् भूमि मेधाराम पुत्र नन्दराम के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में मेधाराम वल्द नन्दराम के नाम से दर्ज थी एवं वर्तमान में भी मेधाराम वल्द नन्दराम के नाम से दर्ज है जिसका देहान्त हो चुका है मेधाराम वल्द नन्दराम के जायज वारिसान उसके पुत्र/पुत्रीया एवं काशीराम के वारिसान है अर्थात मेधाराम वल्द नन्दराम के जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 है जो मेधाराम वल्द नन्दराम की कृषि भूमि पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 3 ता 10 वादी की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है व मेधाराम की पुत्रीया व पत्नी है प्रतिवादी संख्या 3 ता 10 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 बहिब के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 ने निवेदन किया की वाद भूमि उसके पूर्वज मेधाराम वल्द नन्दराम के नाम से दर्ज

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

है जिसका देहान्त हो चुका है मेधाराम वल्द नन्दराम के जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 है जो वाद भूमि के हकदार है तथा प्रतिवादी संख्या 3 ता 10 ने निवेदन किया की उन्होंने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई/पिता वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 11 परोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा भावलदेसर के खाता संख्या 205/98 कुल 12.6247 हैव भूमि मधाराम पुत्र नन्दराम के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में मेधाराम वल्द नन्दराम के नाम से दर्ज थी एवं वर्तमान में भी मेधाराम वल्द नन्दराम के नाम से दर्ज है जिसका देहान्त हो चुका है मेधाराम वल्द नन्दराम के जायज वारिसान उसके पुत्र/पुत्रीया एवं काशीराम के वारिसान है अर्थात मेधाराम वल्द नन्दराम के जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 है जो मेधाराम वल्द नन्दराम की कृषि भूमि पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 3 ता 10 वादी की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री हैव मधाराम की पुत्रीया व पत्नी है प्रतिवादी संख्या 3 ता 10 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।


वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायाधिक दृष्टान्त आर.वी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

परोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा भावलदेसर के खाता संख्या 205/98 कुल 12.6247 हैव भूमि मधाराम पुत्र नन्दराम के नाम से दर्ज है।

प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार वाद भूमि मेधाराम वल्द नन्दराम के नाम से दर्ज है वादी के पिता मेधाराम वल्द नन्दराम का देहान्त जो चुका है मेधाराम वल्द नन्दराम के जायज वारिसान उसके पुत्र/पुत्रीया है अर्थात वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 मेधाराम वल्द नन्दराम है जो प्रस्तुत मृत्यू प्रमाण पत्र वारिस प्रमाण पत्र से साबित है हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6, 8 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी का हक हिस्सा है अर्थात दादा की सम्पति में पौते/पौतियों को बराबर का हक हिस्सा होगा। अर्थात वाद भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 के हक हिस्सा की भूमि है

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 3 ता 10 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 3 ता 10 ने स्वीकार किया जाकर

 उपखण्ड अधिकारी
बोहर

इकवाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चरपा होते हैं के आधार पर वाद वादी सावित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 3 ता 10 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेशोकार राज का किसी प्रकार का ऐतराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी सावित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा भावलदेसर के खाता संख्या 205/98 कुल 12.6247 हैव भूमि मधाराम पुत्र नन्दराम के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी अकेला 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 अकेला 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 2 अकेला 1/4 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जात है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगें। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 31/12/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया।

उपरखण्ड अधिकारी (राजस्व)
उपरखण्ड अधिकारी
नोहर (हनुमानपुर)
नोहर

सत्यमेव जयते

पर्या डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्या दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. मोहनलाल पुत्र काशीराम जाति जाट निवासी भावलदेसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

वादी

बनाम

1. काशीराम पुत्र मेधाराम जाति जाट निवासी भावलदेसर तहसील नोहर।
2. श्रवण कुमार पुत्र काशीराम जाति जाट निवासी भावलदेसर तहसील नोहर।
3. तीजा पुत्री काशीराम जाति जाट निवासी भावलदेसर तहसील नोहर।
4. रीमा पुत्री काशीराम जाति जाट निवासी भावलदेसर तहसील नोहर।
5. रोशनी पुत्री काशीराम जाति जाट निवासी भावलदेसर तहसील नोहर।
6. चनकौरी पुत्री काशीराम जाति जाट निवासी भावलदेसर तहसील नोहर।
7. भीरघा पत्नी स्व मेधाराम जाति जाट निवासी भावलदेसर तहसील नोहर।
8. लिछमा पुत्री स्व मेधाराम जाति जाट निवासी भावलदेसर तहसील नोहर।
9. चुन्नीदेवी पुत्री स्व मेधाराम जाति जाट निवासी भावलदेसर तहसील नोहर।
10. भंवरी पुत्री स्व मेधाराम जाति जाट निवासी भावलदेसर तहसील नोहर।
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ़।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 157 सन 2020 निर्णय दिनांक- 31/12/2020

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं परोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा भावलदेसर के खाता संख्या 205/98 कुल 12.6247 हैक् भूमि मेधाराम पुत्र नन्दराम के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी अकेला 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 अकेला 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 2 अकेला 1/4 हिस्सा का खातेदार काश्तकार धोषित किया जात है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्या डिक्री आज दिनांक 31/12/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)